



Jee
Ajay
Suptd/RTI



सतर्कता महानिदेशालय

अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, तृतीय तल, होटल सम्राट
कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली - 110021

फा०सं० V-500/RTI/141/2020/10675

दिनांक: .11.2020

प्रतिष्ठा मे,

23

श्री रविंदर कुमार, पुत्र श्री बाबू राम,
डी-54, सैक्टर 6-L, वार्ड न. 54, नियर संस्कृत स्कूल,
हनुमान जंक्शन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान-335512.

महोदय,

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गयी सूचना के संदर्भ मे।

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 जो की इस कार्यालय मे दिनांक 12.11.2020 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त आरटीआई आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जीएसटी परिषद, नई दिल्ली से बिन्दु 11 मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है।

2. इस संबंध मे सूचित किया जाता है की मांगी गयी सूचना CBIC के अंतर्गत आने वाली विभिन्न जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय तथा DGGI नई दिल्ली से संबन्धित है। अतः आपके आरटीआई आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत CBIC के सभी जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय को, गुप-A अधिकारी के अतिरिक्त, तथा DGGI नई दिल्ली को स्थानांतरित किया जा रहा है।

पुनः सूचित किया जाता की मांगी गयी सूचना, गुप-A अधिकारी के संबंध मे, इस कार्यालय की विभिन्न शाखाओ से एकत्र की जा रही है, तथा सूचना प्राप्त होने पर इसे नियत समय में प्रदान कर दिया जाएगा।

3. इस आदेश के खिलाफ अपील श्री मुकेश कुमार पाल, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और संयुक्त आयुक्त (सतर्कता), सतर्कता महानिदेशालय, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, कमरा संख्या- 321, तृतीय तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के समक्ष, इस संचार की प्राप्ति के 30 के भीतर दायर की जा सकती दिनों है।

भवदीय,

(अमित कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ सहायक आयुक्त(सतर्कता)

प्रति:

(1) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सीबीआईसी के सभी जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त कार्यालय को श्री रविंदर कुमार के आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 की प्रति के साथ बिन्दु (11) मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के अनुरोध के साथ।

(2) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, DGGI, 239, Sector 5, C Block, West Block, Rama Krishna Puram, New Delhi, Delhi 110022 को श्री रविंदर कुमार के आरटीआई आवेदन दिनांक 29.09.2020 की प्रति के साथ बिन्दु (11) मे मांगी गयी सूचना प्रदान करने के अनुरोध के साथ।

(अमित कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ सहायक आयुक्त(सतर्कता)

8022
02.12.2020



पंजीकृत डाक द्वारा

क्रमांक: प.17(119) एसीसीटी/जीएसटी/2019/

दिनांक:

लोक सूचना अधिकारी,
जीएसटी काउंसिल सचिवालय,
पांचवा तल, दूसरा टॉवर, जीवन भारती बिल्डिंग, जनपथ रोड,
कॉन्ट प्लेस, नई दिल्ली-110 001

विषय:— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:— लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक प.9(एच)(62)एडम/लोसू/ आयुक्त/ 2020-21/943 दिनांक 08.10.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र में श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू राम, डी-54, सैक्टर 6-एल, वार्ड नं. 54, नियर संस्कृत स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला-हनुमानगढ़ राजस्थान, 335512 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2 के तहत सूचना चाही गयी है।

चाही गयी सूचना जीएसटी अनुभाग, राज्य कर राजस्थान में संधारित नहीं की जाती है। यह सूचना जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। अतः मूल आवेदन-पत्र मय पोस्टल आर्डर 47 एफ 006540 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित करते हुए निवेदन है कि आवेदित सूचना नियमानुसार आवेदनकर्ता को शीघ्र उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

संलग्न- पत्रानुसार मय पोस्टल आर्डर

सूचना file पर प्रस्तुत है
16.10
I (RTI)

(केतन शर्मा)
विशेष आयुक्त, (जीएसटी),
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
वाणिज्यिक कर विभाग
www.rajtax.gov.in



क्रमांक :-प.17() एसीसीटी/जीएसटी/2019/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू राम, डी-54, सैक्टर 6-एल, वार्ड नं. 54, नियर संस्कृत स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला-हनुमानगढ़ राजस्थान, 335512

(केतन शर्मा)
विशेष आयुक्त (जीएसटी)
वाणिज्यिक कर विभाग
जयपुर, राजस्थान।

सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत)

Acc (Admn) Hd.

श्रीमान श्री (अ) सूचना अधिकारी.....
 मुख्य सूचना अधिकारी, राजस्थान विभाग,
 पी.एस.डी. विभाग, अ.वे.दे.क. साकेत, जयपुर

PS/ACC/16838
 06-10-2020

CC/10/2020

(Handwritten signature)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना बाबत।

(जगदीश सिंह)
 जति बापुल

PS/ACC/16838
 2559 | 6-10-2020 | 6-10-2020

1. आवेदक का नाम : रविंद्र कुमार
2. पता रविंद्र कुमार जी. 0 आर. राम, लोक डी. 54, सेक्टर 06, गार्डन 54, ए.एम.वा.प. गजपुर
3. सूचना का दिशरण : निम्न आलेख की पतिलिपी/सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पिन-कोड-335512
4. मांगा गई सूचना का स्वरूप (संक्षेप में)

1. 1 जुलाई 2017 से 30 अगस्त 2020 तक जी.एस.टी. काउंसिल की कितनी बार बैठक (मिथि) हुई है? एवं कितनी बार इन बैठकों के कार्य-सूची.एस.टी.के विभागों में मंजूरी का पारित किया गया है? प्रमाणित करें।

2. क्या भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2017 से 30 अगस्त 2020 की अवधि में जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवाकर) से संबंधित किसी भी विभाग को मंत्रालयों, एजेंसियों, एम.पी.सी.ओं या आग जनता को सहायता के लिए सेवाओं का प्रकार की कोई इतिहास सूची, पुस्तिका या विवरणिका का प्रकाशन किया है? यदि हाँ तो विभाग/वली, पुस्तिका या विवरणिका का नाम, प्रकाशक का नाम एवं विवरणिका का स्वरूप प्रमाणित करें।

3. जी.एस.टी. वस्तु एवं सेवाकर को लागू करने का सरकार का उद्देश्य क्या था?
 1) इससे व्यापार क्षेत्र (अर्थ) में क्या-क्या परिवर्तन होने लगे? प्रमाणित करें
 जी.एस.टी. से सरकार ने प्रतीक्षा कितने रूप-राजस्व के रूप में एकत्रित करने का लक्ष्य रखा था, यदि सरकार को जी.एस.टी. से कितने रूपरे परिगाह राजस्व मिलने का अनुमान था? प्रमाणित करें
 2) जी.एस.टी. से प्राप्त राजस्व को राज्यों के सहाय के लिए विभाजित किया जाना था? प्रमाणित करें

4. क्या जी.एस.टी. से व्यापार क्षेत्र दुगुना हुआ है या -ही? प्रमाणित करें
 5) लोक डी. 54 और 24 मार्च 2020 से 19 मई 2020 तक की अवधि में सरकार द्वारा किस-किस वस्तु, आकृति, सेवा, या किल किल कालांतर में कितने रूपरे जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवाकर) लगाया गया? प्रमाणित करें।

6) जीवन रक्षक, अंतर्देशी एवं जीवन रक्षक उपकरणों पर प्रकाश-वैज्ञानिक, जी.पी. मशीन, एल.सी.डी. मशीन, डी.डी. मशीन, एम.आर.आई (MRI) मशीन, डायग्नोस्टिक मशीन, कोरोनारिफ्ट किट, गलफ (दुग्धनि), पी.पी.ई. किट, गैस, आर्सेनालियम रिजिस्ट्रेशन एवं अन्य औद्योगिक यंत्रों में काम करने वाले उपकरणों पर कितने प्रवेश जी.एस.टी. लगाया है? प्रमाणित करें।

7) निधि विमिश्रालय, दोहरेगा बड़े निधि (प्रादेशिक) समिती की जांच फीस एवं गार्जियन फीस जी.एस.टी. के अंतर्गत करती है। इसकी औद्योगिक करने की फीस को कितने प्रवेश जी.एस.टी. में रखा गया है। यदि यह सेवा जी.एस.टी. की कितनी दर या श्रेणियों में रखी गई है? प्रमाणित करें।

8) सरकारी अस्पताल प्राप्त एवं निधि विमिश्रालय से प्राप्त जी.एस.टी. (D.M.V.), उच्च श्रेणी शिक्षण संकुल संस्थान, रवालखा एकेडमी, जी.डी. गोयनकाश्रम संस्थान, स्व. उच्च निधि शिक्षण संस्थान या धर्मनिरपेक्ष अथवा पब्लिक यूनिवर्सिटी वर्टिकल (एजुकेशन), एल.के.ए. यूनिवर्सिटी एजुकेशन (राजस्थान), प्रिंस एकेडमी स्पोर्ट्स, एल.डी. प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी एवं विभिन्न राज्यों के जी.एस. कॉलेज, या दोहरे गा. बड़े, कोचिंग सेंटर जो कि (पंजाब) देश भर में संचालित हैं, इनको जी.एस.टी. में कितने प्रवेश की श्रेणियों में रखा गया है, या यह जी.एस.टी. से मुक्त है? प्रमाणित करें।

9) 27 अगस्त 2020 को हुई जी.एस.टी. परिषद की 14 वीं बैठक (मिडिंग) में विद्युत-मिश्रण के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री या उनके प्रातिनिधियों ने जी.एस.टी. की वफादा शर्तों के शीघ्र अंतर्गत की मांग को रखा? प्रमाणित करें।

10) प्रधानमंत्री अंतर्गत योजना में 1 मई 2016 से 30 अगस्त 2020 तक दिनांकों या द्वारा रिफिल किये गये रि.लॉन्स में पर कितने प्रवेश की दर से जी.एस.टी. लिया गया है, या जी.एस.टी. नहीं लिया गया है? प्रमाणित करें।

11) 1 अक्टूबर 2017 से 30 अगस्त 2020 तक जी.एस.टी. से संबन्धित कितने अधिकारी रिश्ता लेने के अंतर्गत में चकड़े जा-सुके हैं? शक्यता पर अंतर्गत की शर्तों की शर्तों की शर्तों? प्रमाणित करें।

12) जी.एस.टी. में कितने अंतर्गत, कितने सेवा को कितने प्रवेश की श्रेणियों में रखा गया है, इसकी जानकारी प्रमाणित रूप से कहीं से प्राप्त हो सकती है, क्या श्रेणीय जी.एस.टी. कार्यालय अंतर्गत सरणी उपलब्ध करवाने के लिए डिम्पेकार (आवृत्त) हैं या नहीं? प्रमाणित करें।

11 जुलाई 2017 से 30 अगस्त 2020 तक, किल राजा का कितना रूपा
... एन.टी. का, गा शरिपती राशि के रूप में अपना है? यदि रक्क
का डाटा उपलब्ध ना होने की वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,
उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली का अपना निश्चित रूप से अपना जाये?
प्रमाणित की

कोरोना काल में प्रधानमंत्री अजयला योजना में एग्रेगित किचे गये, नि:शुल्क, दिने लालि
गले तीन सिलेक्टों पर एन.टी. (पस) वस्तु एवं सेवाकर लगाया है; प्रा-ही लिया
प्रमाणित की. जमा है?

यदि माँगी गई सूचना आपसे, विभाग का कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो आप
कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुये
मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पॉप दिनों की समयावधि
के अन्तर्गत हस्तगत करें। साथ ही अधिनियम के प्राक्कानों के तहत सूचना
उपलब्ध करवाने समग्र प्रयोग अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताये।
- दानपदास

शुभदीप
शक्ति कुमार

शक्ति कुमार S/o बालू राम
प्लॉट D154, सैक्टर 6-2, लॉड ज. 54
विन्डर सोल्डर स्कूल, हनुमान जद, विभाग
जिला हनुमानगर, राजस्थान
पिन कोड - 335512
मो. नं. 9784562466

4. आवेदन शुल्क रुपये 10/- जमा करान का प्रमाण - इण्डिया पोस्टल ऑर्डर
नम्बर 47F 006540 दिनांक 29/7/2020 संलग्न है।

शक्ति कुमार